अनुलग्नक-I

(सत्यनिष्ठा समझौता का प्रारूप)

<u>संविदा पूर्व सत्यानिष्ठा समझौता</u>

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शुरू की गई एक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड,जिसका पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी कार्यालय परिसर,सेक्टर-33,फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) में है, जिसे एतद्पश्चात 'नियोक्ता'कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति के अर्थ में जब प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी और जिन्हें कार्य सौंपा गया हो शामिल होंगे, **प्रथम पक्ष** ।

तथा

मैसर्स.....एक कंपनी/फर्म/व्यक्ति विशेष (कंपनी के दर्जे का) जिसका पंजीकृत कार्यालय.....में है और जिसका प्रतिनिधित्व श्री..... कर रहे हैं, जिसे एतद्पश्चात 'बोलीदाता/ठेकेदार'कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति के अर्थ में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इसके उत्तराधिकारी और अनुमन्य कार्य देखने वाले शामिल होंगे, **द्वितीय पक्ष** ।

के बीच

जबकि नियोक्ता ने निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं, संविदा/संविदाओं के तहत..... (कार्य/सामान/सेवा का नाम) के प्रापण के लिए प्रस्ताव दिया है तथा बोलीदाता/ठेकेदार ने एनआईटी सं०.....के संदर्भ में अपना प्रस्ताव देने की इच्छा व्यक्त की है ।

जबकि बोलीदाता/ठेकेदार एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उद्यम/साझेदारी की कंपनी/कंसोर्टियम / इस मामले में संगत विधियों के अनुसार गठित संयुक्त उद्यम है तथा नियोक्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ।

इसलिए अब,

सभी प्रकार के भ्रष्ट्राचार से बचने के लिए एक ऐसी प्रणाली को अपनाते हुए संविदा तैयार की जानी है जोकि सही, पारदर्शी और संविदा से पूर्व, संविदा के दौरान तथा संविदा के चालू रहने के अनुक्रम में किसी प्रकार के प्रभाव/पूर्वाग्रह से मुक्त हो और जिससे-

नियोक्ता अपेक्षित उक्त (कार्य/सामान/सेवाएं) उच्च लागत और सार्वजनिक प्रापण पर पड़ने वाले भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचते हुए परिभाषित विशिष्टताओं की पुष्टि के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त करने में सक्षम हो सके और

बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार (ठेकेदारों) को यह आश्वासन दिया जा सके कि संविदा को सुरक्षित करने की दृष्टि से रिश्वत अथवा भ्रष्ट तरीके में जाने से परहेज करने तथा उनके प्रतिस्पर्धियों से भी रिश्वत और भ्रष्ट तरीकों से परहेज करने हेतु तथा नियोक्ता अथवा इसके कार्मिकों द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर किसी भी प्रकार के भ्रष्टचार को रोकने हेतु प्रतिबद्ध करने में सक्षम बनाया जा सके ।

1.0 नियोक्ता की प्रतिबद्धताएं

1.1 नियोक्ता यह शपथ लेता है कि संविदा से संबंध रखने वाला नियोक्ता का कोई भी कार्मिक बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा देने अथवा संविदा से संबंधित क्रियान्वयन प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने के बदले बोलीदाता/ठेकेदार से प्रत्यक्ष अथवा किसी बिचौलिए के माध्यम से किसी प्रकार की रिश्वत, ध्यान रखे जाने, पुरस्कार गिफ्ट, पक्षपात अथवा किसी वस्तु या अन्य प्रकार को लाभ की मांग अपने लिए अथवा अपने किसी अन्य व्यक्ति, संगठन अथवा संविदा से संबंधित तीसरे पक्ष के लिए नहीं करेगा और नहीं ऐसी कोई चीज स्वीकार करेगा अथवा नहीं इसके लेने का वादा ही लेगा ।

1.2 नियोक्ता संविदापूर्व चरण में सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों को एक समान मानेगा तथा सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों को एक जैसी सूचना उपलब्ध कराएगा तथा किसी विशिष्ट बोलीदाता/ठेकेदार को कोई ऐसी सूचना नहीं उपलब्ध कराएगा जिससे अन्य बोलीदाताओं/ठेकेदारों की तुलना में उस विशिष्ट बोलीदाता/ठेकेदार को कोई लाभ मिल सके ।

1.3 नियोक्ता के सभी कार्मिक उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के उल्लघंन के प्रयास अथवा उल्लघंन होने की स्थिति के साथ ही साथ ऐसे उल्लघंन का गंभीर संदेह होने पर उपयुक्त प्राधिकारी को रिपोर्ट देंगे ।

2.0 इस प्रकार के कार्मिक (कार्मिकों) के संबंध मे बोलीदाता की ओर से इस प्रकार के पूर्ववर्ती दुराचरण की नियोक्ता को रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में जो कि पूर्ण और सत्यापित किए जाने वाले तथ्यों के साथ है और उसे प्रथम दृष्टया सही पाया जाता है तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा ठीक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई नियोक्ता अथवा बाहरी स्वतंत्र मानीटर द्वारा शुरू की जाएगी और इस तरह के व्यक्ति को संविदा प्रक्रिया संबंधी आगे की कार्रवाई से अलग रखा जाएगा । इस प्रकार के मामले में जब तक नियोक्ता द्वारा जांच चलाई जाए तब तक संविदा के तहत अन्य कार्यवाहियों को रोका नहीं जाएगा ।

3.0 <u>बोलीदाता(बोलीदाताओं)/(ठेकेदार (ठेकेदारों) की प्रतिबद्धताएं</u>

संविदा को सरक्षित रखने अथवा इसे सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से बोलीदाता (बोलीदाताओं)/(ठेकेदारों) द्वारा अपने आप अपनी बोली के किसी चरण पर, संविदा पूर्व अथवा संविदा पश्चात चरण के दौरान भ्रष्ट तरीकों, गलत साधनों अथवा असंवैधानिक गतिविधियों से बचने के लिए सभी उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है, तथा विशिष्ट तौर से अपने आप निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है ।

3.1 बोलीदाता (बोलीदाताओं)/(ठेकेदारों) बोली, मूल्यांकन, संविदा देने और संविदा के क्रियान्वयन में किसी तरह का लाभ लेने के बदले प्रत्यक्ष और किसी बिचौलिए के माध्यम से संविदा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े नियोक्ता के किसी कार्मिक को किसी रिश्वत, गिफ्ट, आशा रखने, पुरस्कार, पक्षपात, सामान अथवा अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, अथवा प्रलोभन नहीं देगा ।

3.2 बोलीदाता/ठेकेदार आगे यह शपथ लेता है कि उसने नियोक्ता के किसी कार्मिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, गिफ्ट, आशा रखने, पुरस्कार, पक्षपात, सामान अथवा अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, अथवा प्रलोभन नहीं दिया है, प्रस्ताव नहीं किया है अथवा वादा नहीं किया है अथवा संविदा के प्रापण अथवा संविदा प्राप्त करने अथवा संविदा के क्रियान्वयन अथवा नियोक्ता के साथ अन्य संविदा दिखाने अथवा पक्षपात करने संविदा से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति का पक्ष न लेने के लिए किसी तरह का ऐसा कार्य करने से दूर रहा है ।

3.3 बोलीदाता (बोलीदाताओं)/(ठेकेदारों) एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते बताएगा तथा भारतीय बोलीदाता (बोलीदाताओं)/ठेकेदार (ठेकेदारों) अपने विदेशी प्रिंसिपल्स अथवा एसोसिएट्स के बारे में बताएगा ।

3.4 बोलीदाताओं/ठेकेदारों को इस बोली/ठेके के संबंध में ऐजेन्टो/दलालों तथा किसी अन्य मध्यस्थ को, किए गए भुगतान के बारे में बताना होगा ।

3.5 हटा दिया गया है ।

3.6 बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करते समय अथवा ठेके के पूर्व की जाने वाली बातचीत के दौरान या ठेके पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसके द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को बताना होगा, कि उसने नियोक्ता या उनके परिवारजनों, एजेंटो, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को इस ठेके के संबंध कोई भुगतान किया है, तथा इस भुगतान के बदले उसने किन-किन सेवाओं की सहमति ली है ।

3.7 बोलीदाता/ठेकेदार को इस ठेके के संबंध में किसी अन्य पार्टी से सांठ-गांठ नहीं करनी होगी जिससे कि इस ठेके की पारदर्शिता, तथा बोली की प्रगति, मूल्यांकन, ठेके के कार्यान्वयन व ठेके के निपटान पर कोई बुरा असर पड़े ।

3.8 बोलीदाता/ठेकेदार को अपने किसी भी लाभ के लिए, भ्रष्टाचार, अनुचित साधनों तथा अवैध गतिविधियों को नहीं अपनाना होगा ।

3.9 बोलीदाता/ठेकेदार नियोक्ता द्वारा दी गई किसी भी ऐसी सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को उसके निजी लाभों, व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति या व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं देगा जिसमें औद्योगिक संबंधों, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों तथा व्यवसायिक विवरण इलैक्ट्रानिक डाटा कैरियर संबंधी सूचनाएं शामिल हों । बोलीदाता/ठेकेदार को वचन बद्धता देनी होगी कि वे ऐसी कोई भी सूचना प्रकाशित या प्रकट नहीं करेंगे ।

3.10 बोलीदाताओं/ठेकेदारों को बिना किसी साक्ष्यों/सहायक सामग्री अथवा निरीक्षण तथ्यों के बिना या किसी अन्य माध्यम से किसी भी शिकायत को सीधे तौर पर करने से बचना होगा ।

3.11 बोलीदाता/ठेकेदार को किसी भी तीसरे पक्ष को बिना किसी कारण के उपरोक्त कार्रवाई के लिए भड़काना नहीं होगा ।

3.12 बोलीदाता/ठेकेदार या बोलीदाता/ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति जो कि बोलीदाता/ ठेकेदार के पक्ष में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्यरत हो, उसका यदि नियोक्ता के किसी अधिकारी के साथ ऐसा संबंध हो जिसमें कि वित्तीय लाभ/बोली/ठेके में हिस्सा हो, को निविदा भरते समय स्पष्ट रूप से बताना होगा सार्वजनिक लिमिटेड कम् पनी को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध ।

शब्द 'रिलेटिव' का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 2(77) में परिभाषित के अनुसार होगा।

3.13 बोलीदाताओं/ठेकेदारों को नियोक्ता के किसी भी कार्मिक से पैसा का लेन-देन या उधार अथवा मौखिक लेन-देन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं करना होगा ।

3.14 बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) के प्रतिनिधि द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालयों से संपर्क नहीं करेंगे जब तक मामला आईआईएम के पास है और वह इस मामले में उनके फैसले का इंतजार करेगें।

3.15 उप-अनुबंध के मामले में, बोलीदाता/ मुख्य ठेकेदार पर उप-ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी ।

4.0 पूर्व अतिक्रमण

4.1 बोलीदाताओं/ठेकेदारों को इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व यह घोषित करना होगा कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अथवा विदेश में, किसी अन्य कंपनी या भारत सरकार या उसके किसी उद्यम के साथ कोई ऐसा भ्रष्ट तंत्र अथवा तरीका किसी भी ठेके को प्राप्त करने के लिए नहीं अपनाया है ।

5.0 बयाना राशि (प्रतिभूति जमा)

जैसाकि बोली दस्तावेजों, निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित है। बयाना/प्रतिभूति राशि जमा करने के प्रावधानों संबंधी विवरण के अनुसार या बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार बोलीदाता को यह बयाना राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

6.0 उल्लंघन के लिए दण्ड विधान

6.1 बोलीदाता/ठेकेदार अथवा उसका कोई कार्मिक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई कार्मिक यदि उक्त वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि नियोक्ता यहां निर्धारित प्रक्रिया 'गाइड लाइन ऑन बेनिंग ऑफ बिजिनेस डिलिंग' संलग्नक-क में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके विरूद्ध नीचे दी गई समस्त / कोई भी कार्रवाई कर सकता है।

i. बोलीदाता/ठेकेदारों को कोई प्रतिकर/मुआवजा दिए बिना एवं कोई कारण बताए बिना अनुबंध पूर्व वार्ता के लिए बुला सकता है तथापि अन्य बोलीदाता/ठेकेदारों के साथ प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जा सकती है।

ii. संविदा पूर्व की स्थिति में जमा बयाना राशि अथवा अनुबंध पूर्व जमा सिक्योरिटी राशि/प्रफोर्मेंस बॉड, अपनी संविदा जारी होने के पश्चात भी आंशिक/पूर्ण रूप से कोई कारण बताए बिना नियोक्ता द्वारा रद्द की जा सकती है।

iii. कोई प्रतिकर कर अदा किए बिना ठेकेदारों को हस्ताक्षरित संविदा भी तुरंत रद्द की जा सकती है। बोली लगाने वाले/ठेकेदार से ऐसे रद्द करने/रद्द जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता को किसी भी हानि या क्षति के लिए मुआवजा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और नियोक्ता बोलीदाता/ठेकेदार के कारण money(s) से इतनी देय राशि घटा करने के लिए हकदार होंगे।

iv. हटा लिया गया है।

v. संविदा के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध यदि कोई देयता शेष है तो उसकी वसूली ब्याज सहित बैंक गारंटी से की जा सकती है।

vi. हटा लिया गया है।

vii. एनएचपीसी लिमिटेड, 'गाइडलाइन ऑन बेनिंग ऑफ बिजिनेस डिलिंग' (संलग्नक-क) जिन्हें आगे बढ़ाया भी जा सकता है, के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता, बोलीदाता/ठेकेदार को एनएचपीसी लिमिटेड की किसी आगामी बोली प्रक्रिया में भाग लेने से बाहर/विवर्जित कर सकता है।

viii. इस समझौते का उल्लंघन करने पर संविदा सुरक्षा की दृष्टि से बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा किसी बिचौलिये या एजेंट या ब्रोकर को किए गए भुगतान की पूरी वसूली की जाएगी।

ix. बोलीदाता/ठेकेदार के साथ नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित किसी संविदा के लिए वसूलन किए गए किसी साख पत्र की वसूली का मामला पुन: नहीं खोला जा सकता अथवा उसे जारी नहीं रखा जा सकता।

x इस समझौते का उल्लंघन करने पर कोई कारण बताए बिना नियोक्ता द्वारा दण्ड स्वरूप निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी ।

6.2 नियोक्ता को इस समझौते के पैरा 6.1(i) से (x) पर निर्दिष्ट सभी या कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। बोलीदाता/ठेकेदार या इनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति द्वारा दलाली करने पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX में निर्धारित अपराध या भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए कोई अन्य कानून अधिनियमित की ओर से (चाहे बोलीदाता/संविदाकार को जानकारी हो या न हो) कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

6.3 इस विषय में नियोक्ता का निर्णय अमल में लाना होगा कि इस समझौते के प्रावधानों का बोलीदाता/ ठेकेदार द्वारा उल्लंघन करना उसका अपना/अंतिम निर्णय होगा। फिर भी बोलीदाता/ ठेकेदार इस समझौते के लिए चुने गए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर(रों) के समक्ष अपनी बात रख सकते है।

7.0 फॉल क्लॉज: हटा दिया

8.0 स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर(रों)

8.1 नियोक्ता इस समझौते हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (तदपश्चात इसे मॉनीटर कहा जाएगा) को नियुक्त करता है।

8.2 मॉनीटरों के कार्यों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से समीक्षा की जाएगी कि इस समझौते के अंतर्गत बाध्यताओं का अनुपालन पार्टियां कितना और किस सीमा तक करती हैं।

8.3 मॉनीटर पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुदेशों के अधीन नहीं होंगे और वह अपने कार्यों का निष्पादन निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से करेगे।

8.4 दोनों पार्टियां यह स्वीकार करती हैं कि मॉनीटर के पास बैठक के कार्यवृत्त सहित नियोक्ता के सभी परियोजना/प्रापण से संबंधित सभी दस्तावेजों पर पहुंच का अधिकार है। यदि निविदा/संविदा से संबंधित मुद्दों की जांच करना बहुत आवश्यक है तो इससे संबंधित रिकार्डों को प्राप्त करने का अधिकार कुछ सीमा तक सीमित होना चाहिए।

8.5 जैसे ही मॉनीटर इस समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन पाता है, अथवा उसे उल्लंघन प्रतीत होता है तो वह इस की सूचना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी को देगा और एनएचपीसी से इसको जारी न रखने अथवा सुधारात्मक कार्रवाई करने, अथवा अन्य संगत कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा । मानीटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशों को प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मॉनीटर के पास पार्टियों से किसी विशिष्ट तरीके से कार्य करने, कार्रवाई से बचने अथवा कार्रवाई छोडने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है

8.6 बोलीदाता/ ठेकेदार स्वीकार करता है कि मॉनिटर को बिना रोक बोलीदाता/ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए एवं नियोक्ता के सभी परियोजना के दस्तावेजों के उपयोग का अधिकार होगा । मॉनिटर के अनुरोध तथा मान्य सरोकार जाहिर करने पर बोलीदाता/ठेकेदार उसे बिना किसी बाधा व बिना शर्त के परियोजना दस्तावेजों के उपयोग का अधिकार देगा । ऐसा ही उपठेकेदारों के लिए भी लागू होगा । मॉनिटर का यह संविदात्मक दायित्व होगा कि वह बोलीदाता/ठेकेदार/उपठेकेदार की सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखेगा।

8.7 नियोक्ता परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच की सभी बैठकों की पर्याप्त सूचना मॉनिटर को देगा बशर्ते कि इन बैठकों का प्रभाव पार्टियों के बीच संविदात्मक संबंधों पर पड रहा हो । पार्टियां जब और जहाँ आवश्यक हो मॉनिटर कोऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए विकल्प का प्रस्ताव देंगी ।

8.8 मॉनिटर संदर्भित तिथि या नियोक्ता/ बोलीदाता द्वारा सूचित किए जाने तथा जैसा भी अवसर उत्पन्न हुआ हो की एक लिखित रिपोर्ट 8 से 10 सप्ताह के अंदर सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड को समस्या जनक स्थितियों के सुधार का प्रस्ताव देगा ।

8.9 "मॉनीटर" शब्द में एक वचन तथा बहुवचन दोनों शामिल हैं।

9.0 <u>जाँच की सुगमता</u>

समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन देने के आरोप के मामले में नियोक्ता या उसकी एजेंसियों को बोलीदाता/ सविदाकार के बुक ऑफ एकाउंट सहित सभी दस्तावेतों की जाँच करने का अधिकार होगा तथा बोलीदाता/ सविदाकार आवश्यक सूचना और दस्तावेज अंग्रेजी में उपलब्ध कराएगा और ऐसी जाँच में हर संभव सहायता प्रदान करेगा ।

10.0 <u>कानून व क्षेत्राधिकार</u>

यह समझौता भारतीय कनूनों के अधीन है और कार्य-निष्पादन का स्थान तथा क्षेत्राधिकार नियोक्ता का पंजीकृत कार्यालय अर्थात फरीदाबाद (हरियाणा) है। सत्यनिष्ठता समझौते के अंतर्गत उठने वाले किसी मुद्दे/विवाद पर निविदा दस्तावेज/संविदा में उल्लेखित मध्यस्थता धारा लागू नहीं होगी।

11.0 <u>अन्य वैधानिक कार्रवाई</u>

11.1 सत्यनिष्ठा समझौता में इंगित कार्रवाई किसी अन्य वैधानिक कार्रवाई को हानि नहीं पहुँचाते हैं जोकि किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही से संबद्ध प्रावधानों से उत्पन्न हुई हों ।

11.2 परिवर्तन तथा अनुपूरक और साथ ही समाप्ति सूचना को लिखित में दिया जाना आवश्यक है।

11.3 यदि संविदाकार कोई भागीदारी अथवा कोई संघ अथवा कोई संयुक्त उद्यम है तो इस समझौते पर संघ/संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

12.0 <u>वैधता</u>

12.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए या वारंटी समय सहित नियोक्ता और बोलीदाता/ सविदाकार/ विक्रेता दोनों ही की संतुष्टी पर समझौते के पूर्ण निष्पादन, जो भी बाद में हो तक के लिए होगी । यदि बोलीदाता सफल नहीं होता है तो यह सत्यनिष्ठा समझौता हस्ताक्षर होने से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा ।

12.2 यदि इस समझौते का कोई एक अथवा कई प्रावधान अवैध होते हैं तो इस समझौते का शेष भाग वैध रहेगा। ऐसे मामले में पार्टियां अपनी मूलमंशाओं के अनुरूप किसी समझौते को करने का प्रयास करेंगी।

13.0 एतदद्वारा पार्टियां दिनांक _____को _____ स्थान पर अनुबंध के भाग के रूप में इस सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं और संबंधित पक्ष अपने प्रावधानों द्वारा बाध्य हैं ।

नियोक्ता अधिकारी का नाम पदनाम	बोलीदाता (अधिकृत व्यक्ति) (व्यक्ति का नाम) पदनाम
स्थान तिथि	स्थान तिथि
साक्षी 1. (नाम व पता) 2. (नाम व पता)	साक्षी 1. (नाम व पता) 2. (नाम व पता)

नोट:- सत्यनिष्ठा समझौता का प्रारूप के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों मे लिखित शब्दों के बीच किसी प्रकार के अन्तर होने के स्थिति मे अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।